# मेरठ विकास प्राधिकरण

की

## 8वीं बोर्ड बैठक

दिनाँक 23-8-78

का

# कार्यवृत्त

## विकास प्राधिकरण, मेरठ की दिनाँक 23-8-78 की बैठक की कार्यवाही

स्थान :- न्यायालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।

समय : 11-00 बजे प्रात:

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1- | श्री आर०के०गोयल | आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ, मेरठ | अध्यक्ष |
| 2- | श्री आर०एस०माथुर | जिलाधिकारी, मेरठ एवं उपाध्यक्ष | उपाध्यक्ष |
| 3- | श्री पी०के०पाण्डेय | उपसचिव, आवास विभाग | सदस्य |
| 4- | श्री जे०पी०दुबे | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक | सदस्य |
| 5- | श्री इ०बा०त्यागी | प्रशासक, नगरपालिका, मेरठ | सदस्य |
| 6- | श्री कैलाश चन्द्र बंसल | अधीक्षणअभियन्ता,सा०नि०वि०, मेरठ | सदस्य |
| 7- | श्री या०प्र०जैन | अधिशासी अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद | सदस्य |

**1- पिछली बैठक की कार्यवाही की सर्वसम्मति से पुष्टि हुई ।**

**2- पिछली बैठक में निर्देशित मामलों में प्रगति ।**

**2/2/2/3 श्री पी०सी०टण्डन द्वारा स्वीकृत नक्शे से विचलन एवं अतिक्रमण सम्बन्धी मामला ।**

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि इस मामले को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तय किया जाये, प्राधिकरण द्वारा इस पर कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

**2/2/2/5 श्री भगवान सहाय मौर्य के अवैध भवन निर्माण का मामला ।**

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि यह बिषय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के स्थगन आदेश दिनाँक 27-4-78 द्वारा उनके विचाराधीन है । इस बिषय में उनके निर्णय के उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी ।

**2/2/2/6 सब्जी मण्डी का वर्तमान स्थान से स्थानान्तरण।**

प्राधिकरण ने इस योजना को सिद्धान्त रुप में स्वीकार कर लिया है। अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये कि इस योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण वित्तीय दृष्टिकोण से को ध्यान में रखते हुए तैयार किये जाये तथा इस बात की विशेष रुप से समीक्षा की जाये कि इस योजना के लिये भूमि अर्जन हेतु कितना व्यय होगा और इसकी वसूली तथा आमदनी किस प्रकार होगी।

**2/2/2/7,8,9 अनाधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण ने आदेश दिये कि तीन महीने की अवधि में समस्त अनाधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण पूर्ण किया जाये। जिन कालोनियों का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है, उनका तलपट मानचित्र तैयार करवाकर सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मेरठ से अनुमोदित करवा लया जाये और तदोपरान्त इन कालोनियों को नियमित कराने की कार्यवाही की जाये।

**2/2/2/11,12,13 हापुड रोड पर प्रथम योजना के प्रथम चरण में भूमि अर्जन करना, कमजोर वर्ग निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिये आवास निर्माण योजना, प्रथम योजना के द्वितीय चरण हेतु दिल्ली रोड पर भूमि अर्जन के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण की बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ ने बताया कि हडको (HUDCO) द्वारा निर्धन (कमजोर वर्ग) के व्यक्तियों के लिये 4 प्रतिशत की दर से ऋण प्राप्त हो सकता है। अतः इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता हडको से योजनाओं की रुप रेखा मँगवा लें।

उपाध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये कि भूमि अध्याप्ति हेतु निर्धारित मूल्य अंकन रु० 21,52,815/- की 25 प्रतिशत भाग राजकीय कोषागार में जमा किया जाना आवश्यक है। अतः इस राशि को जमा करने की कार्यवाही की जाये।

**2/2/10 मेरठ विकास प्राधिकरण में आर्कीटैक्ट प्लानर की नियुक्ति।**

प्राधिकरण को बताया गया कि आर्कीटैक्ट प्लानर के पद की पूर्ति हेतु केवल दो नाम प्राप्त हुए है तथा उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये है कि यह संख्या अपर्याप्त है। इस सम्बन्ध में "हिन्दुस्तान टाईम्स" देहली में पत्र सं०-2037/एम०डी०ए० दिनाँक 22-8-78 द्वारा उक्त पद को विज्ञाप्ति करने हेतु लिखा गया है।

प्राधिकरण ने प्रत्याशियों के नाम प्राप्त होने पर उपाध्यक्ष तथा सचिव को सुयोग्य प्रत्याशी के चयन हेतु मनोनीत किया।

**2/2/13 मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्य को सुचारु रुप से चलाने के लिये अधिवक्ता की नियुक्ति।**

प्राधिकरण ने आदेश दिये कि अधिवक्ता की सेवा शर्ते शीघ्र तैयार की जाये तथा इस बिषय में नगरपालिका, जिला परिषद और आवास एवं विकास परिषद से भी जानकारी प्राप्त कर ली जायें।

**2/5 साकेत हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी, मेरठ के खाली भूखण्डों के भूप्रयोग में परिवर्तन एवं संशोधन के सम्बन्धा में संकल्प सं०-13 (अ) दिनाँक 3-3-78 द्वारा गठित उपसमिति की संस्तुतियों सहित) विचारार्थ।**

इस मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाये।

**2/7 अवैध निर्माण, स्वीकृत मानचित्रों से विचलन के मामलों में कम्पाउन्डिंग फीस में छूट।**

प्राधिकरण ने आदेश दिये कि इस बिषय को सक्षमं अधिकारी अथवा अपीलेट अथारिटी द्वारा तय किया जाये।

यदि आवश्यकता हो तो इस बिषय में शासन को लिखा जाये।

3- बर्ष 1978-79 का मूल बजट आवश्यक टिप्पणियों सहित संलग्न है। स्वीकृतार्थ।

बजट स्वीकार किया गया श्री पी०के० पाण्डेय, उपसचिव, आवास विभाग ने सुझाव दिया कि बजट में आय बढाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाये जिससे प्राधिकरण आत्म निर्भर हो सके।

प्राधिकरण के बजट में पूर्णकालिक सचिव के आवास हेतु इस समय प्राविधान किया जाये। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र सचिव को आवास आबंटित किया जायेगा। श्री पाण्डेय उपसचिव ने सुझाव दिया कि प्रतिनियुक्ति के अधिकारियों को अतिशीघ्र किराये पर आवास प्रदान करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाये जिससे उन्हें वेतन के 10 प्रतिशत पर ही आवास उपलब्ध हो सकें।

बजट के सभी आईटम पर अवलोकन पश्चात स्वीकार किये गये। स्वल्पाहार के लिये केवल अंकन रुपये 5000/- के स्थान पर इस समय अंकन 3,000/- रुपये का प्राविधान किया जाये।

4- किशनपुरा बस्ती, बागपत रोड, मेरठ के निवासियों के मकानों को गिराये जाने के सम्बन्ध में। यह एक अनाधिकृत बस्ती है जिसका तलपट मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। शासनादेश सं०-7672/37-2-77 दिनाँक 9-2-78 के सन्दर्भ में आदेशार्थ।

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि अन्य अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनायी गयी है, वही किशनपुरा बस्ती के सम्बन्ध में अपनायी जाये।

5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ के पत्र संख्या 16249/9/3 व०नि०/78 दि० 18-2-78 जिसमें उन्होंने मोदीनगर विनियमित क्षेत्र से ग्राम इकला, मुहीउद्दीनपुर बहादुर पुर तथा कायस्त बढढा को निकाल कर मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित करने के बिषय को विचार हेतु अनुरोध किया है।

आदेशार्थ।

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि नगर एवं ग्राम नियोजक के सुझाव के अनुसार ग्राम इकला, मुहीउद्दीनपुर बहादुर पुर तथा कायस्त बढ़ढा को विनियमित क्षेत्र, मोदीनगर से मेरठ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाये क्योंकि गाजियाबाद से मेरठ तक सिवाय उक्त के अन्य कोई विनियमित क्षेत्र नहीं है।

6- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ का पत्र सं० 2255/17-5/ब०नि०2/78 दिनाँक 19-6-78 जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि मेरठ महायोजना को "पी-४ जोन" "कृषि हरित पट्टी" का नाम "कृषि हरित पट्टी तथा एक्सटेक्टिव इन्डस्ट्री" दर्शाया गया है इसके कारण कृषकों को नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत कृषि हरित पट्टी के अधीन प्राप्य छूट नहीं मिल पा रही है। इस भूउपयोग में "एक्सटैक्टिव इन्डस्ट्रीज" शब्द को हटाने हेतु विचारार्थ।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये कि ऐसे किसानों के बारे में जिनकी भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम सं०-20 के अन्तर्गत "एक्सटैक्टिव इन्डस्ट्रीज यूज" क्षेत्र में आती हो एक विस्तृत विवरण बनाते हुए नोट तैयार किये जाये जिससे तदनुसार सूचित किया जा सके।

7-श्री बिजेन्द्र कुमार का आवेदन पत्र दिनाँक 19-6-78 जिसमें उन्होंने ट्रान्सपोर्ट नगर के निकट व्यापारिक भवन का नक्शा स्वीकृति हेतु इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया है कि वे अपने भवन को महायोजना के अन्तर्गत निर्गत आदेशों के अनुसार सही करने को तैयार है। इस क्षेत्र के तलपट मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण इनके द्वारा प्रस्तावित व्यापारिक भवन सम्बन्धित भूमि की स्थिति अज्ञात है। चूँकि उत्तर प्रदेश अरबन प्लानिंग एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट 1973 के अधीन अभी तक उप विधियाँ तैयार नहीं की गयी है। अतः उत्तर प्रदेश (रेगूलेशन ऑफ बिल्डिंग आपरेशन्स) एक्ट 1958 के अन्तर्गत राजकीय विज्ञप्ति संख्या - यू०ओ०86-एच/37-

50(20) एच-27 दिनाँक 23-7-60 द्वारा स्वीकृत उपविधियों की उपधारा संख्या 5(11) (बी) के अनुसार आदेशार्थ।

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि इस बिषय में सक्षम अधिकारी (अपीलेट अथारिटी) द्वारा निर्णय लिया जाये। प्राधिकरण की बैठक में इस आईटम को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

8- लेखाधिकारी के नोट दिनाँक 8-8-78 जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्य को सुचारु रुप से चलाने के लिये निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता दर्शायी गयी है।

| पदका नाम | संख्या | वेतनक्रम |
|---|---|---|
| स्टेनों | एक | 250-425 |
| अर्दली | एक | 165-215 |

(पूर्णकालिक सचिव के लिये)

निर्धारित वेतन क्रम में स्वीकृतार्थ।

बजट में इन पदों को स्वीकृत कर दिया गया है। सचिव तथा लेखाधिकारी द्वारा इनका विधिवत चयन किया जाये।

9- लेखाधिकारी का नोट दिनाँक 8-8-78 जिसमें उल्लेख किया गया है कि उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लियाहै तथा उनके लिये यह व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। सचिव महोदय के टाईप चार आवास के लिये लगभग 80 हजार रुपये व्यय होने का अनुमान है। सम्बन्धित अधिकारी से 10 प्रतिशत मासिक किराया वसूल किया जायेगा तथा प्राधिकरण को वेतन की धनराशि का साढे सात प्रतिशत जो अधिकारी को आवास भत्ता के लिये देय है, की बचत होगी। अतः यह प्रस्ताव प्राधिकरण के हित में है तथा इस प्रकार कालान्तर में इस भवन की लागत भी वसूल हो जायेगी। अधिकारी को आवास सुविधा देने से उसकी कार्यक्षमता बढेगी तथा प्राधिकरण की योजनाओं पर पूर्ण नियन्त्रण होगा। स्वीकृतार्थ।

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि प्राधिकरण के पास आय का कोई साधन नहीं है अतः स्थगित किया गया।

10- मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यालय के लिये वर्तमान भवन नगरपालिका, मेरठ से अंकन आठ सौ सत्तावन (857-00) रुपये मासिक किराये पर है। परन्तु यह भवन इस कार्यालय की वर्तमान एवं बढती हुई आवश्यकताओं की दृष्टि से अपर्याप्त है। इसके स्थान पर एक अन्य भवन आबू लेन, मेरठ पर किराये पर लिये जाने का प्रस्ताव है, जिसका विस्तृत विवरण सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया है जो लगभग दो हजार रुपये मासिक किराये के सम्बन्ध में है।

स्वीकृतार्थ।

प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि कार्यालय के लिये प्रस्तावित धनराशि स्वीकृति कर उपयुक्त भवन को तलाश कर अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के उपरान्त ले लिया जाये।

11- श्री प्रेमनाथ वर्मा, अध्यक्ष, वर्मा कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, मेरठ द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या-3257 जिसमें उन्होंने जली कोठी क्षेत्र, मेरठ में दूकानों का निर्माण प्रस्तावित किया है। अपने पत्र दिनाँक 15-11-77 के साथ उन्होंने एक बैनामे की फोटो स्टेट नकल प्रस्तुत की है जिससे विदित है कि उक्त भूमि सोसायटी ने पुर्नवास विभाग से अंकन 18756/- में 19-10-72 को क्रय की थी। प्रशासक, नगरपालिका, मेरठ एवं तत्कालीन सचिव ने अपने नोट दिनाँक 30-5-78 द्वारा उक्त भूमि पर नगरपालिका का अधिकार बताया है। इस मामले में जिला राजकीय अधिवक्ता की राय ली गयी है जिसमें उन्होंने नगरपालिका के उक्त अधिकार को नहीं माना है। आदेशार्थ।

निर्णय लिया गया कि इस मामले में यदि सक्षम अधिकारी चाहें तो शासन को Refer कर दें।

12- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रकरण।

**(उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट की धारा 20(2) ) के अन्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव तथा लेखाधिकारी को शक्तियों का प्रतिनिधायन ।**

निर्णय लिया गया कि बजट में प्राविधान होने पर सचिव को अंकन 500/- रुपये के स्थान पर 1,000-00 रुपये भुगतान करने हेतु अधिकृत किया जाये । समस्त चैको पर सचिव व लेखाधिकारी को हस्ताक्षर करने की शक्तियों का प्रतिनिधायन करने के सम्बन्ध में अन्य प्राधिकरणों से भी ज्ञात कर लिया जाये कि वहाँ क्या प्रक्रिया है ।

| | | |
|---|---|---|
| ह०/- | ह०/- | ह०/- |
| सचिव | उपाध्यक्ष | अध्यक्ष |
| मेरठ विकास प्राधिकरण | मेरठ विकास प्राधिकरण | मेरठ विकास प्राधिकरण |
| मेरठ । | मेरठ । | मेरठ । |